



Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:13182

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आवेदन अन्तर्गत धारा 482 सं. 871 सन् 2026

गायत्री नंजुडप्पा @ डॉ. गायत्री सिंह

आवेदक (गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य द्वारा प्रधान सचिव, गृह, लखनऊ एवं अन्य

प्रतिपक्षी (गण)

---

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : धीरेन्द्र सिंह पंवार

प्रतिपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

---

आरक्षित दिनांक 11.02.2026 ए.एफ.आर.

प्रदत्त दिनांक 19.02.2026

अपलोड किया गया 20.02.2026

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. यह आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा शिकायत वाद सं. 9713/2008, डॉ. ए.के. चौधरी बनाम डॉ. गायत्री सिंह और अन्य अन्तर्गत धारा 23, पूर्व-गर्भाधान एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1994' कहा गया है) में दिनांक 13.06.2024 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग के तहत दायर किया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा दायर किए गए डिस्चार्ज आवेदन को खारिज कर दिया गया, और इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश, न्यायालय सं. 7, लखनऊ द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण सं. 517/2024, डॉ. गायत्री सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, में दिनांक 18.11.2025 को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पारित आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें आवेदक द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी।

2. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि प्रतिपक्षी सं. 2 द्वारा अधिनियम, 1994 की धारा 23 के तहत 18.11.2008 को थाना बखशी का तालाब, जिला लखनऊ में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत वाद सं. 9713/2008 के रूप में पंजीकृत किया गया था। मजिस्ट्रेट ने 20.11.2008 को इस पर संज्ञान लिया और उसके बाद आवेदक के खिलाफ समन जारी किया गया। आवेदक ने आत्मसमर्पण किया और 14.09.2010 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। आवेदक ने डिस्चार्ज आवेदन किया, जिसे 13.06.2024 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, आवेदक ने पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे पुनरीक्षण न्यायालय ने 18.11.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। अतः, यह आवेदन दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र सिंह पंवार ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक एम.बी.बी.एस. डॉक्टर हैं और वह 1999 से प्रसूति विज्ञान के क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सक हैं। आवेदक मां चंद्रिका देवी प्रसूति एवं शल्य चिकित्सा केंद्र की स्वामी नहीं हैं और कथित तलाशी एवं जब्ती की घटना के समय वह वहां स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थी तथा पूरी शिकायत सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि डॉ. ए.के. चौधरी (प्रतिपक्षी सं. 2), तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ, अधिनियम, 1994 की धारा 17 के अर्थ में उपयुक्त प्राधिकारी नहीं हैं और उन्हें वर्तमान शिकायत दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि उपयुक्त प्राधिकरण का केवल एक सदस्य अधिनियम, 1994 की धारा 30(1) के तहत किसी भी अधिकारी को कार्यवाई या निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। शिकायत 13.11.2008 को तलाशी दल के सदस्यों द्वारा की गई तलाशी और जब्ती की कार्यवाही पर आधारित है, जिन्हें पक्षकार के केवल एक व्यक्ति द्वारा अधिकृत किया गया था, इस प्रकार पूरी कार्यवाही ही अमान्य है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान सरकारी अधिसूचना सं. 3020/V-9-2007-6(74)-94-टी.सी. दिनांकित 30.11.1997 की ओर भी आकर्षित किया है, जो अधिनियम, 1994 की धारा 17 के अनुसरण में जारी की गई है और प्रस्तुत किया है कि उक्त अधिसूचना के खंड (3) के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट पूर्व-गर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्यान्वयन की निगरानी में सहायता के लिए जिले के एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अपना नामित व्यक्ति नियुक्त कर सकता है, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

5. संक्षेप में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दो कानूनी आधार उठाए हैं; पहला, शिकायत अधिनियम, 1994 की धारा 28 के तहत निर्धारित उपयुक्त प्राधिकारी, अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं, बल्कि लखनऊ के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दायर की गई थी, जो मान्य नहीं है; और दूसरा, अधिनियम, 1994 की धारा 30 के तहत कार्रवाई करते समय जिला मजिस्ट्रेट के लिए कारण दर्ज करना अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने बिना कोई कारण दर्ज किए आदेश पारित कर दिया है। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों का सहारा लिया है:

1. रविंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 2024 (4) जेआईसी 742 (एससी);

2. डॉ. विनोद कुमार बस्सी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2024:एचसी-एलकेओ:25839

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री एस.एम. सिंह रॉयकवार एवं उनके सहयोगी विद्वान एजीए-1 श्री राजदीप सिंह ने प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा उठाया गया मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 2226/2014, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मनविंदर सिंह गिल, दिनांकित 03.08.2015 के निर्णय में ध्यान में लाया गया है और अधिनियम 1994 की धारा 28(1)(क) और धारा 17(3)(ख) के प्रावधानों को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम 1994 के तहत किसी अपराध के संबंध में शिकायत जिला मजिस्ट्रेट स्वयं या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दर्ज की जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 18.08.2008 के आदेश द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ को अधिकृत किया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ को पैरवी करने और शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया है। अधिनियम, 1994 की धारा 28(1)(ए) में निहित स्पष्ट प्रावधान के मद्देनजर, उपयुक्त प्राधिकारी को शिकायत दर्ज करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंपने के लिए अधिकृत या सशक्त किया गया है, इसलिए शिकायत विचारणीय थी और समन आदेश में कोई अवैधता या खामी नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के स्वतः संज्ञान बनाम गुजरात राज्य, 2008 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 294 मामले में दिए गए फैसले और इस न्यायालय के डॉ. बृज पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2024 एचसी 159207 मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए यह तर्क दिया है कि अधिनियम, 1994 की धारा 28(1) में कोई अस्पष्टता नहीं है, जो स्पष्ट रूप से यह बताती है कि शिकायत केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज की जा सकती है। अधिनियम, 1994 की धारा 28 के प्रावधानों के तहत तीनों प्राधिकारियों को प्रत्यायोजन की शक्ति प्रदान की गई है।

8. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान दिनांक 18.08.2008 के आदेश की ओर भी दिलाया है, जिसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट ने अधिनियम, 1994 की धारा 28(1)(क) के तहत परिकल्पित अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए डॉ. ए.के. चौधरी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ को अधिनियम, 1994 के तहत सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि दिनांक 13.11.2008 के आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट ने नियमावली, 1996 के नियम 11 के तहत एक आदेश जारी किया है, जो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, इमेजिंग सेंटर आदि में सुविधाओं के निरीक्षण से संबंधित है। अतः, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि दिनांक 13.11.2008 का अधिकृतीकरण अधिनियम के विरुद्ध है, मान्य नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि अधिनियम, 1994 की धारा 30 में यह प्रावधान है कि यदि उपयुक्त प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक या किसी अन्य स्थान पर किया गया है या किया जा रहा है, तो ऐसा प्राधिकारी या इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी, निर्धारित नियमों के अधीन रहते हुए, उचित समय पर ऐसे आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक या किसी अन्य स्थान में प्रवेश कर, ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जिसे ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी आवश्यक समझे, प्रवेश कर सकता है और वहां पाए गए किसी भी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, पुस्तक, पुस्तिका, विज्ञापन या किसी अन्य भौतिक वस्तु की जांच कर सकता है और यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि इससे इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के घटित होने का साक्ष्य प्राप्त हो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सकता है, तो उसे जब्त कर सकता है और सील कर सकता है। उन्होंने निवेदन किया है कि दिनांक 13.11.2008 के आदेश द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट/उपयुक्त प्राधिकारी ने नियमावली, 1996 के नियम 11 के अंतर्गत दो अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है।

9. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान दिनांक 30.11.1997 की सरकारी अधिसूचना की ओर भी दिलाया है और प्रस्तुत किया है कि उक्त अधिसूचना के खंड (3) के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट पूर्व-गर्भाधान एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी में सहायता के लिए जिले के किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अपना नामित व्यक्ति नियुक्त कर सकता है और उसे अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) और खंड (ख) के तहत यह अधिकार प्राप्त है। अतः उन्होंने निवेदन किया है कि धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

11. संदर्भ के लिए, अधिनियम, 1994 की धारा 17 और 28 नीचे उद्धृत की गई हैं:-

'17. उपयुक्त प्राधिकारी और सलाहकार समिति.-

1. केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक उपयुक्त प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

2. राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य के पूरे या आंशिक भाग के लिए एक या एक से अधिक उपयुक्त प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या की ओर ले जाने वाले प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण की समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखा जाएगा।

3. उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त किए गए अधिकारी होंगे,'

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(क) जब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संपूर्ण भाग के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होते हैं-

i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक-अध्यक्ष के पद के बराबर या उससे ऊपर के रैंक का कोई अधिकारी;

ii) महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ख्यातिलब्ध महिला; और

iii) संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधि विभाग का एक अधिकारी:

बशर्ते कि संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2002 के लागू होने के तीन महीने के भीतर बहु-सदस्यीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर का उपयुक्त प्राधिकरण गठित करे:

बशर्ते, इसमें उत्पन्न होने वाली किसी भी रक्ति को उस रक्ति के उत्पन्न होने के तीन महीने के भीतर भर दिया जाएगा।

(ख) जब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भाग के लिए नियुक्त किया जाए, तो उसे ऐसे अन्य पद का नियुक्त किया जाएगा जैसा राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, उचित समझे।

4. उपयुक्त प्राधिकारी के निम्नलिखित कार्य होंगे, अर्थात्:-

(क) किसी आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक का पंजीकरण प्रदान करना, निलंबित करना या रद्द करना;

(ख) आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला और आनुवंशिक क्लिनिक के लिए निर्धारित मानकों को लागू करना;

(ग) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना और तत्काल कार्रवाई करना;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(घ) उपधारा के तहत गठित सलाहकार समिति की सलाह लेना और उस पर विचार करना।

(5) पंजीकरण के लिए आवेदन पर और पंजीकरण के निलंबन या रद्द करने के लिए शिकायतों पर;

(ङ) किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थान पर लिंग चयन तकनीक के उपयोग के विरुद्ध, स्वतः संज्ञान से या उसके संज्ञान में लाए जाने पर, उचित कानूनी कार्रवाई करना और ऐसे मामले में स्वतंत्र जांच शुरू करना;

(च) लिंग चयन या जन्म पूर्व लिंग निर्धारण की प्रथा के विरुद्ध जन जागरूकता उत्पन्न करना;

(छ) अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(ज) प्रौद्योगिकी या सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार नियमों में आवश्यक संशोधनों के लिए सीएसबी और राज्य बोर्डों को सिफारिश करना;

(झ) पंजीकरण के निलंबन या रद्द करने की शिकायत की जांच के बाद सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करना।

5. केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक उपयुक्त प्राधिकारी के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करेगी ताकि उपयुक्त प्राधिकारी को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह दी जा सके, और सलाहकार समिति के सदस्यों में से एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

6. सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा आनुवंशिकीविदों में से तीन चिकित्सा विशेषज्ञ;

(ख) एक कानूनी विशेषज्ञ;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ग) राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के सूचना एवं प्रचार संबंधी विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिकारी;

(घ) तीन प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें से कम से कम एक महिला संगठनों के प्रतिनिधियों में से होना चाहिए।

7. लिंग निर्धारण या लिंग चयन के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीक के उपयोग या प्रचार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

8. सलाहकार समिति पंजीकरण के लिए किसी आवेदन या पंजीकरण के निलंबन या रद्द करने की किसी शिकायत पर विचार करने और उस पर सलाह देने के लिए जब चाहे या उपयुक्त प्राधिकारी के अनुरोध पर बैठक कर सकती है:

बशर्ते कि किन्हीं दो बैठकों के बीच की अवधि निर्धारित अवधि से अधिक न हो।

9. सलाहकार समिति में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निर्धारित नियम और शर्तें तथा समिति द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

28. अपराधों का संज्ञान:

1. इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान न्यायालय तब तक नहीं लेगा जब तक कि शिकायत निम्नलिखित में से किसी द्वारा न की गई हो,

(क) संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी, या उपयुक्त प्राधिकारी; या

(ख) वह व्यक्ति जिसने निर्धारित तरीके से उचित प्राधिकारी को कथित अपराध और न्यायालय में शिकायत करने के अपने इरादे की सूचना कम से कम पंद्रह दिन पहले दी हो।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'व्यक्ति' में कोई सामाजिक संगठन शामिल है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अलावा कोई अन्य न्यायालय नहीं करेगा।

3. जहां उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत शिकायत की गई हो, वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर, उपयुक्त प्राधिकारी को अपने पास मौजूद प्रासंगिक अभिलेखों की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है।'

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनविंदर सिंह गिल (उपरोक्त) के मामले में अधिनियम, 1994 की धारा 17 और 28 के प्रावधानों पर विचार करते हुए निम्नवत अवधारित किया:-

‘हमने अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) का अध्ययन किया, जो इस प्रकार है:-

28. अपराधों का संज्ञान- (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि निम्नलिखित द्वारा शिकायत न की गई हो: (क) संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी, या उपयुक्त प्राधिकारी:’

ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि प्राधिकार तीन अधिकारियों में निहित है, अर्थात्, अधिनियम की धारा 17(3) के अंतर्गत अधिसूचित उपयुक्त प्राधिकारी, इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या धारा 17(3) के अंतर्गत अधिसूचित संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी अधिकारी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में आगे निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान आक्षेपित फैसले के पैरा 11 की ओर दिलाया, जिसमें अधिनियम की धारा 17 (3) (ख) और (28) (1) (क) पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि अधिनियम के तहत कार्रवाई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय द्वारा तभी की जा सकती है जब शिकायत "उपयुक्त प्राधिकारी" या "केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी" द्वारा की गई हो; अन्यथा ऐसी कार्रवाई विधिवत वैध नहीं होगी। ऐसा कहते हुए, उच्च न्यायालय यह उल्लेख करना भूल गया है कि धारा 28 (1) (क) के तहत धारा 17 (3) के अंतर्गत अधिसूचित "उपयुक्त प्राधिकारी" द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने का हकदार होगा।”

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में यह निर्णय दिया गया है कि अधिनियम, 1994 की धारा 28(1)(क) के तहत, अधिनियम, 1994 की धारा 17(3) के तहत अधिसूचित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी अधिनियम, 1994 के तहत कार्रवाई शुरू करने का हकदार होगा। इस प्रकार, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया अधिकृतीकरण वैध है और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ शिकायत दर्ज करने के लिए सशक्त थे और इसमें कोई अवैधता नहीं है।

14. अधिनियम 1994 की धारा 28(1)(ए) के तहत अधिकृतीकरण के मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा डॉ. ब्रिज पाल सिंह (उपरोक्त) के मामले में पुनः विचार किया गया है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा नीचे उद्धृत किया गया है:

“मुद्दा (ई)

78. पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण एवं दंड निवारण अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत हैं, अर्थात्: (i) उपयुक्त प्राधिकारी; (ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो; (iii) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति और (iv) वह व्यक्ति जिसने मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया हो।”

15. उपरोक्त निर्णय से यह भी संकेत मिलता है कि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए सशक्त है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. इसी तरह का प्रश्न गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष स्वतः संज्ञान बनाम गुजरात राज्य (उपरोक्त) मामले में उठा था और पूर्ण पीठ ने अधिनियम 1994 की धारा 28(1)(ए) के प्रावधानों पर विचार किया था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा नीचे उद्धृत किया गया है:-

“धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (क) के आरंभ और अंत में दो बार 'उपयुक्त प्राधिकारी' शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शिकायत उपयुक्त प्राधिकारी के अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा भी की जा सकती है। शिकायत करने के लिए किसी अधिकारी को अधिकृत करने और प्रत्यायोजित करने की शक्ति धारा 28 के प्रावधानों के अंतर्गत तीनों प्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से प्रदत्त है, और इसलिए, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है।”

17. उक्त निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि शिकायत किसी भी ऐसे अधिकारी द्वारा दर्ज की जा सकती है जिसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि इस डॉ. विनोद कुमार बस्सी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनविंदर सिंह गिल (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय पर विचार नहीं किया।

18. दूसरा कानूनी पहलू यह है कि 13.11.2008 के आदेश को पारित करते समय जिला मजिस्ट्रेट ने अपने कारणों का उल्लेख नहीं किया है। 13.11.2008 के आदेश का गहन अध्ययन यह दर्शाता है कि यह आदेश नियमावली, 1996 के नियम 11 के तहत जारी किया गया है, जो किसी भी आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक आदि में निरीक्षण की सुविधा प्रदान करता है। यह नियम 11 आगे यह भी प्रावधान करता है कि उपयुक्त प्राधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को इस संबंध में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है और प्राधिकरण के आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

19. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का दूसरा भाग भी विफल रहा।

20. यह भी ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 30.11.2017 की अधिसूचना के खंड 3 के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट, गर्भाधान पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में सहायता के लिए जिले के किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अपना नामित प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। उसे अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा 3 के खंड (क) और खंड (ख) के तहत यह अधिकार दिया गया है।

21. धारा 17(1) के दायरे पर गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने *स्वतः संज्ञान बनाम गुजरात राज्य (उपरोक्त)* के मामले में तथा इस न्यायालय ने *डॉ. ब्रिज पाल सिंह (उपरोक्त)* के मामले में विचार किया है।

22. यह ध्यान देने योग्य है कि आवेदक ने डिस्चार्ज आवेदन को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दी है। इस स्तर पर, यह न्यायालय न तो संक्षिप्त सुनवाई कर सकता है और न ही रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का मूल्यांकन कर सकता है। यह तर्क कि शिकायत सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में मान्य नहीं है। इस न्यायालय का अंतर्निहित क्षेत्राधिकार साक्ष्य के प्रमाणिक मूल्य का आकलन करने तक विस्तारित नहीं होता है, जो कि विचारण के दौरान पक्षों द्वारा कानून के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

23. उपर्युक्त कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं को देखते हुए, याचिका विफल होती है और इसमें कोई मेरिट नहीं है। तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

19 फरवरी, 2026

मोहित सिंह/राव/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।